

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

संख्या - 78/2023

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1 आत्माराम पिता प्रभुलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा

बनाम

— (प्रार्थी)

- 1 नाथूलाल पिता धन्ना बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 2 बद्रीलाल पिता धन्ना बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 3 श्रवण पिता किशना बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 4 द्वारका पिता किशना बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 5 छोटू पिता किशना बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 6 सोनाथ पिता गोकल बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 7 सुखदेव पिता गोकल बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 8 गंगाराम पिता गोकल बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 9 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

— (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थीगण अधिवक्ता- श्रीमती मदीना बानू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 04.08.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 11.05.2023 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1552 के आ.न. 2528 रकबा 1.00 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1552 के आ.न. 2528 रकबा 1.00 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक कनेछनकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वादत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा